(1) संगठन की विशिष्टियॉ, कृत्य और कर्तव्य

भाषा विभाग

भाषा विभाग द्वारा प्रदेश की राजभाषा हिन्दी एवं द्वितीय राजभाषा उर्दू के प्रयोग, प्रचार–प्रसार एवं विकास के साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं के भी प्रचार–प्रसार का कार्य किया जा रहा है। शासन स्तर पर इस विभाग द्वारा शासन के समस्त विभागों से प्राप्त अनुवाद कार्य तथा विभागीय मैनुअलों, संकलनों एवं संदर्भ ग्रन्थों आदि का प्रकाशन कार्य कराने के साथ–साथ विभिन्न भाषाओं से सम्बन्धित कार्यकलापों तथा योजनाओं को निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जाता हैः–

1–उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ
2–उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम्, लखनऊ
3–उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, लखनऊ
4–हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद
5–उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान,लखनऊ
6–उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी,लखनऊ
7–उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी,लखनऊ
8–स्व0फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, लखनऊ

भाषा विभाग के नियंत्रणाधीन उक्त में से हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद को छोड़कर अन्य भाषायी संस्थाओं के कार्यकलापों एवं कार्यरत स्टाफ आदि के वेतन भत्तों के लिए आवश्यक सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्था शासन द्वारा की जाती है। उक्त संस्थाओं के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यकलापों के अन्तर्गत हिन्दी, उर्दू तथा संस्कृत भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यकारों को पुरस्कृत करने के साथ–साथ साहित्यकार कल्याण कोष योजना, प्रकाशन अनुदान योजना, उत्कृष्ट ग्रन्थों का प्रकाशन, साहित्यिक समारोह पाण्डुलिपियों का प्रकाशन, अभावग्रस्त साहित्यकारों को सहायता के साथ–साथ प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न संगोष्ठियों का आयोजन तथा सम्पूर्ण देश में आयोजित पुस्तक प्रदशर्नियों एवं मेलों में प्रतिभाग भी किया जाता है।

राजभाषा हिन्दी

प्रदेश में सर्वप्रथम अक्टूबर, 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को अपनी राजभाषा घोषित किया गया था। राजभाषा हिन्दी का प्रयोग 26 जनवरी, 1968 से प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया है तथा उक्त आदेश का अनुपालन न किया जाना अनुशासनहीनता माना गया है। अंग्रेजी का प्रयोग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था की गयी है जिससे हिन्दी की प्रगति को गतिशीलता मिल सके।

द्वितीय राजभाषा उर्दू

अल्पसंख्यकों की भावनाओं का समादर करते हुए सरकार ने वर्ष 1989 में उ0प्र0 राजभाषा(संशोधन) अधिनियम, 1989 पारित करके उर्दू को निम्नांकित सात विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया हैः–

(1) उर्दू में अर्जियों और आवेदन पत्रों की प्राप्ति और उर्दू में उनका उत्तर।

(2) उर्दू में लिखित दस्तावेजों को निबंधन कार्यालयों द्वारा स्वीकार किया जाना।
(3) महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का उर्दू में भी प्रकाशन।
(4) सार्वजनिक महत्व के सरकारी आदेशों और परिपत्रों को उर्दू में भी जारी किया जाय।
(5) महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का उर्दू में भी प्रकाशन।
(6) गजट के उर्दू रूपान्तर का भी प्रकाशन।
(7) महत्वपूर्ण संकेत पट्‌टों का उर्दू में प्रदर्शन।

उक्त प्रयोजनों के कार्यान्वयन हेतु समस्त विभागाध्यक्षों/जिलाध्यक्षों को समय–समय पर शासनादेश जारी किये गये हैं।

क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं का विकास

हिन्दी एवं उर्दू भाषा के साथ–साथ अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार–प्रसार की भी व्यवस्था की गयी है। इन भाषाओं के प्रोत्साहन हेतु प्रदेश के पॉच जनपदों क्रमशः लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, मुरादाबाद और आगरा में कुल पॉच भारतीय भाषा केन्द्रों की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों में कुल 13 भाषाओं यथा तमिल, तेलगू, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया, पंजाबी, सिन्धी, असमिया, कश्मीरी और नेपाली के प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

आशुलिपि तथा टंकण प्रशिक्षण केन्द्र

भाषा विभाग के अधीन मैदानी जिला मुख्यालयों पर तथा उत्तर प्रदेश सचिवालय में भाषा विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य कर्मचारियों के लिए हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत सम्प्रति झांसी और मेरठ जनपदों में हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण की योजना चलायी जा रही है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सचिवालय तथा लखनऊ स्थित सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि में प्रशिक्षण दिये जाने हेतु दरबारी लाल शर्मा भवन में हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र चलाया जा रहा है।

उर्दू प्रवीणता परीक्षा

असाधारण गजट के साथ अन्य विभागों से प्राप्त पत्रावलियों, निकाहनामों इत्यादि का अनुवाद करने के साथ राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उर्दू भाषा का ज्ञान कराये जाने के लिए उर्दू सीखने को प्रोत्साहित करने के उद्‌देश्य से जूनियर हाईस्कूल/हाईस्कूल स्तर की वैकल्पिक उर्दू प्रवीणता परीक्षा का आयोजन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के माध्यम से कराया जाता है। परीक्षा में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रमाण–पत्र के साथ पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है।

प्रकाशन कार्य

प्रदेश के सरकारी कार्यालयों एवं अधिकारियों को शासन के अद्यावधिक नियमों, विनियमों आदि से अवगत कराने व तद्‌नुसार कार्य संपादन में सरकारी प्रयोगार्थ उनकी प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु भाषा (प्रकाशन) अनुभाग द्वारा शासन के विभागीय मैनुअलों, हैण्डबुकों, नियमावलियों, आदेशों के संकलनों आदि को संशोधित एवं अद्‌यावधिक कराकर

उन्हें प्रकाशित कराया जा रहा है। प्रकाशन कार्यों को अधिक तत्परता से पूरा कराने हेतु संबंधित प्रशासनिक विभागों से नियमों–विनियमों आदेशों की सामग्री संकलन हेतु निरन्तर प्रयास किया जा रहा है तथा सामग्री प्राप्त कर उनके संशोधन व संपादन की कार्यवाही की जा रही है।

(क) विभागीय मैनुअल, हैण्डबुकों तथा अधीनस्थ विधायन एवं शासनादेशों के संकलन

सरकारी कार्यों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित कराने एवं तद्नुसार कार्य संचालन में सुविधा की दृष्टि से मैंनुअलों तथा फाइनेन्शियल हैण्डबुकों को हिन्दी में अनुदित कराकर अद्यावधिक संकलन प्रकाशित कराने के साथ–साथ विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति के 15वें प्रतिवेदन में की गयी संस्तुति के अनुसार प्रदेश के समस्त सांविधिक नियमों, विनियमों, सेवा नियमावलियों आदि को विभागवार संकलित अद्यावधिक एवं संपादित करके 48 खण्डों में प्रकाशित कराया जा रहा है। इसके अधिकांश खण्डों का प्रकाशन हो चुका है। शेष खण्डों का अद्यावधिक सामग्री संकलन/प्रकाशन का कार्य चल रहा है।

(ख) राष्ट्रीय ग्रन्थ सूची एवं कौमी किताबियात–शौबे उर्दू(इंडियन नेशनल बिबलियोग्राफी के हिन्दी एवं उर्दू पार्ट)

हिन्दी तथा उर्दू भाषा में प्रकाशित उत्कृष्ट पुस्तकों की विषय मर्मज्ञों एवं जनसामान्य को जानकारी देने तथा उनमें ऐसे प्रकाशनों के प्रति अभिरूचि जागृत करने के प्रयासों की दिशा में केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय भारत सरकार ,कोलकाता के सहयोग से "इंडियन नेशनल बिबलियोग्राफी के हिन्दी तथा उर्दू'' भाग क्रमशः "राष्ट्रीय ग्रन्थ सूची एवं कौमी किताबियात–शौबे उर्दू" के नाम से इस विभाग द्वारा प्रकाशित कराये जा रहे हैं। यह राष्ट्रीय महत्व के संदर्भ ग्रन्थ हैं, तथा विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, शोध संदर्भ में विशेष उपयोगी हैं। राष्ट्रीय ग्रन्थ सूची तथा उर्दू संस्करणों में वर्ष विशेष में पूरे भारत वर्ष में हिन्दी/उर्दू में प्रकाशित ऐसी समस्त प्रमुख पत्र–पत्रिकाओं/ पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है, जिनकी प्रतियां पुस्तक तथा समाचार–पत्र अधिनियम, 1954 के तहत नेशनल लाइब्रेरी, भारत सरकार, कोलकाता को प्राप्त होती हैं।

उपर्युक्त संदर्भ ग्रन्थों की भारत सरकार से प्राप्त पाण्डुलिपियों के अनुसार गत वित्तीय वर्ष में तीन संस्करणों का प्रकाशन कार्य पूर्ण कराने के उपरान्त इस संदर्भ ग्रन्थ के अगले संस्करणों की पाण्डुलिपि प्रकाशनार्थ तैयार कराने का कार्य प्राथमिकता पर किया गया।

(ग) शासकीय प्रयोगार्थ प्रकाशनों का वितरण कार्य

प्रकाशित करायी गयी पुस्तकों की प्रतियां शासकीय प्रयोगार्थ प्रदेश के सरकारी कार्यालयों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के उपयोगार्थ निःशुल्क वितरित करायी जा रही हैं। इस विभाग द्वारा प्रकाशित अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों जैसे अनुशासनिक कार्यवाही विषयक शासनादेशों का संकलन, शासकीय आदेश संग्रह (एम0जी0ओ0), चरित्र पंजी में प्रविष्टि, सत्यनिष्ठा तथा दक्षतारोक संबंधी शासनादेशों का संकलन, राजकीय सेवाओं में आरक्षण विषयक शासनादेशों का संकलन, राजकीय सेवा संबंधी विविध शासनादेश का संकलन (चतुर्थ खण्ड), शासकीय कार्य निर्देशिका, यात्रा भत्ता नियमावली, सी0एस0आर0, प्रशासन शब्दकोष (अंग्रेजी–हिन्दी), प्रशासनिक सुधार विभाग के शासनादेशों का संकलन, सामान्य

भविष्य निधि नियमावली, सचिवालय नियम संग्रह आदि पुस्तकों की प्रतियां सरकारी विभागों एवं अधिकारियों के उपयोगार्थ उपलब्ध करायी गयी हैं।

अनुवाद कार्य

शासन की भाषा नीति के अनुरूप राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शासन स्तर पर समस्त विभागों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सामान्य, प्रकीर्ण एवं विधायी प्रकृति के शासकीय प्रपत्रों/पत्रों का केवल अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य भाषा विभाग द्वारा सम्पादित किया जाता है।

(2) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्तव्य

भाषा विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव के नियन्त्रणाधीन है। भाषा विभाग में मुख्यतः अनुवाद कार्य किया जाता है। विधायी विभाग के माध्यम से प्राप्त अध्यादेशों, नियमावलियों आदि की अंग्रेज़ी भाषा में विधीक्षित प्रति से हिन्दी भाषा में अनुवाद, अनुवादक द्वारा करने के उपरान्त अनुभाग अधिकारी/भाषा अधिकारी के माध्यम से प्रमुख सचिव/सचिव विधायी विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। हिन्दी से अंग्रेजी के अन्य अनुवाद अनुवादक द्वारा करने के उपरान्त अनुभाग अधिकारी/भाषा अधिकारी के माध्यम से ज्येष्ठ भाषा अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। उर्दू अनुवाद अनुवादक द्वारा करने के उपरान्त अनुभाग अधिकारी के स्तर से अनुमोदित किया जाता है।

प्रकाशन प्रभाग एक निदेशक के अन्तर्गत शासकीय प्रकाशन का कार्य करता है।

पत्रावलियों में समीक्षा अधिकारी/अनुवादक द्वारा टिप्पणी प्रस्तुत करने के बाद अनुभाग अधिकारी/प्रभारी के माध्यम से यथावश्यकता उच्चाधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। इस सम्बन्ध में सचिवालय नियम संग्रह में अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ व कर्तव्य आदि परिभाषित किये गये हैं।

(3) विनिश्चय करने की प्रकिया में पालन की जाने वाली प्रकिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं

पत्रवलियों के सम्बन्ध में व्यवस्था सचिवालय नियम संग्रह में उल्लिखित है।

(4) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान

शून्य

(5) अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

सचिवालय नियम संग्रह, वित्तीय हस्तपुस्तिका, सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1985, उ0प्र0 सरकारी सेवा(अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 आदि।

उ0प्र0 भाषा (विधेयक तथा अधिनियम) अधिनियम, 1950

उ0प्र0 राजभाषा अधिनियम, 1951

उ0प्र0 राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध)अधिनियम, 1951

शासनादेश सं0–1353/21–3(9) 71 दिनांक 22.04.1972

शासनादेश सं0–1986/21–82–3(9) 82 दिनांक 04.06.1982

(6) ऐसे दस्तावेज़ो की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये हैं अथवा उनके नियन्त्रण में हैं

शून्य

(7) किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं

शून्य

(8) बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गयी हो और यह विवरण कि क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ है

भाषा विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थान हैं, जिनकी अपनी नियमावलियॉ हैं तथा उन नियमावलियों के अनुसार कार्यवाही करते हैः—

1—उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ
2—उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम्, लखनऊ
3—उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, लखनऊ
4—हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद
5—उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान,लखनऊ
6—उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी,लखनऊ
7—उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी,लखनऊ
8—स्व0फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, लखनऊ

(9) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

क0	नाम	पदनाम	दूरभाष
1	श्री अशोक घोष	प्रमुख सचिव, भाषा विभाग	2238137 2213151
2	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह	अनु सचिव, भाषा विभाग	2213893
3	श्री ब्रजेश चन्द्र	भाषा अधिकारी	2213887
4	श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह	भाषा अधिकारी	2213032
5	श्री अशोक कुमार अस्थाना	अनुभाग अधिकारी भाषा अनु0—1	2213230
6	श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव	अनुभाग अधिकारी भाषा अनु0—2	2213032
7	श्री राज कुमार दुबे	अनुभाग अधिकारी भाषा अनु0—3	2214683
8	श्री कर्मराज यादव	अनुभाग अधिकारी भाषा अनु0—4	2213024
9	श्री सूर्य प्रकाश शर्मा	अनुभाग अधिकारी भाषा अनु0—5	2213029
10	आनन्द प्रकाश	अनुभाग अधिकारी भाषा अनु0—6	2213887
11	श्री शाहिद अली	अनुभाग अधिकारी भाषा(उर्दू)अनु0—1	2213238
12	श्री अज़हर अली खॉ	प्रभारी भाषा(उर्दू)अनु0—2	2213241
13	श्री अशोक कुमार मिश्रा	अनुभाग अधिकारी(लेखा)	2213134
14	श्रीमती रत्न माला राय	समीक्षा अधिकारी भाषा अनु0—2	2213032

15	श्री अनूप कुमार	समीक्षा अधिकारी भाषा अनु0–2	2213032
16	श्री सार्जन बाबू श्रीवास्तव	समीक्षा अधिकारी भाषा अनु0–1	2213230
17	श्री नियाज़ अहमद खॉ	पुनरीक्षक भाषा(उर्दू)अनु0–1	2213238
18	श्री सैयद कमाल अहमद हसनैनी	पुनरीक्षक भाषा(उर्दू)अनु0–1	2213238
19	श्री अब्दुल कुद्दूस	पुनरीक्षक भाषा(उर्दू)अनु0–2	2213241
20	श्री आद्यादत्त त्रिपाठी	अनुवादक भाषा अनु0–6	2213887
21	श्री मसीह उल्लाह खॉ	अनुवादक भाषा अनु0–4	2213024
22	श्री सुरेश चन्द्र विश्वकर्मा	अनुवादक भाषा अनु0–5	2213029
23	श्री सुरेश कुमार गुलाटी	अनुवादक भाषा (लेखा)अनु0	2213134
24	श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा	अनुवादक भाषा अनु0–3	2214683
25	श्री आलोक पटेल	अनुवादक भाषा अनु0–2	2213032
26	श्री अजय सिंह	अनुवादक भाषा अनु0–2	2213032
27	श्री श्रीलाल भास्कर	अनुवादक भाषा अनु0–5	2213029
28	कुमारी उपमा	अनुवादक भाषा अनु0–4	2213024
29	श्री जितेन्द्र नाथ	अनुवादक भाषा अनु0–3	2214683
30	श्री रत्नदीप दीक्षित	अनुवादक भाषा अनु0–4	2213024
31	श्री संदीप कुमार	अनुवादक भाषा अनु0–5	2213029
32	श्री अभिषेक कुमार अखिल	अनुवादक भाषा अनु0–6	2213887
33	श्री मुहम्मद कलीम	अनुवादक भाषा(उर्दू)अनु0–1	2213238
34	श्री अब्दुल अलीम किदवाई	अनुवादक भाषा(उर्दू)अनु0–1	2213238
35	श्री आमिर रियाज़	अनुवादक भाषा(उर्दू)अनु0–1	2213238
36	श्री सैयद खुर्शीद हैदर हुसैनी	अनुवादक भाषा(उर्दू)अनु0–1	2213238
37	श्री सै0 रिजवान अहमद	अनुवादक भाषा(उर्दू)अनु0–1	2213238
38	श्री सहबान अहमद	अनुवादक भाषा(उर्दू)अनु0–2	2213241
39	श्री अनस मुस्तफ़ा	अनुवादक भाषा(उर्दू)अनु0–2	2213241
40	श्री सादिक़ हैदर	अनुवादक भाषा(उर्दू)अनु0–2	2213241
41	श्री जावेद आलम	अनुवादक भाषा(उर्दू)अनु0–1	2213238
42	श्री मुहम्मद आसिम रिज़वी	अनुवादक भाषा(उर्दू)अनु0–1	2213238
43	श्री तनवीर अहमद	अनुवादक भाषा(उर्दू)अनु0–1	2213238
44	श्री शौकत अली	अनुवादक भाषा(उर्दू)अनु0–1	2213238
45	श्री सै0 मनाज़िर आदिल हसन	अनुवादक भाषा(उर्दू)अनु0–1	2213238
46	कुमारी रूमी परवीन	अनुवादक भाषा(उर्दू)अनु0–2	2213241
47	श्री शाह आलम कुरैशी	अनुवादक भाषा(उर्दू)अनु0–2	2213241
48	सुश्री ऋचा रूहेला	आशुलिपिक प्रशिक्षक (प्रतिनियुक्ति पर)	2214683
49	श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव	सहा0समीक्षा अधिकारी भाषा (प्रकाशन)	2213226
50	श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव	सहा0 समीक्षा अधिकारी भाषा(लेखा)	2213134
51	श्रीमती शशि प्रभा	सहा0 समीक्षा अधिकारी भाषा अनु0–1	2213032
52	श्री अनिल चन्द्र श्रीवास्तव	सहा0 समीक्षा अधिकारी टंकणप्रशिक्षण	2214683
53	श्री राजकुमार	कम्प्यूटर सहायक भाषा अनु0–1	2213230
54	श्रीमती अन्जुम शहनाज़	कम्प्यूटर सहायक भाषा अनु0–2	2213032
55	श्रीमती ऊषा तिवारी	कम्प्यूटर सहायकभाषा(प्रकाशन)अनु0	2213226
56	श्रीमती अनीता यादव	कम्प्यूटर सहायक भाषा(उर्दू)अनु0–1	2213238
57	श्रीमती अनुपमा वर्मा	कम्प्यूटर सहायक भाषा अनु0–5 / 6	2213029
58	श्री संजीव कुमार सिन्हा	कम्प्यूटर सहायक भाषा अनु0–3	2214683
59	श्री सवितानन्द राव नाग	कनिष्ठ श्रेणी लिपिक भाषा अनु0–2	2213032
60	श्रीमती उमा कुमारी	कनिष्ठ श्रेणी लिपिकभाषा(उर्दू)अनु0–2	2213241
61	श्रीमती कंचन यादव	अनुसेवक भाषा अनु0–4	2213024
62	कुमारी नीलम	अनुसेवक भाषा अनु0–2	2213032
63	श्रीमती लाजवन्ती मौर्य	अनुसेवक भाषा अनु0–5 / 6	2213029
64	श्री चन्द्र प्रकाश	अनुसेवक भाषा(उर्दू) अनु0–1	2213238
65	श्री रवि शंकर सिंह	अनुसेवक बाध्य प्रतीक्षा	
66	श्री मोहन कुमार गुप्ता	अनुसेवक बाध्य प्रतीक्षा	

67	श्री बृजलाल रावत	अनुसेवक अनु सचिव के साथ सम्बद्ध	2213893
68	श्री बनवारी लाल	अनुसेवक भाषा अनु0–3	2214683
69	श्री आशीष कुमार मिश्रा	अनुसेवक बाध्य प्रतीक्षा	
70	श्री बलबीर प्यारे लाल	अनुसेवक भाषा अनु0–1	2213230
71	श्री महेश प्रसाद	अनुसेवक प्रमुख सचिव कार्यालय	2213151
72	श्री प्रदीप कुमार अवस्थी	अनुसेवक भाषा(प्रकाशन)अनु0	2213226
73	श्री कैलाश नाथ लोधी	अनुसेवक प्रमुख सचिव कार्यालय	2213151
74	श्री राम सूरत यादव	अनुसेवक प्रमुख सचिव कार्यालय	2213151
75	श्रीमती मीना	अनुसेवक बाध्य प्रतीक्षा	

(10) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा विनियमों में यथा उपलब्ध क्षतिपूर्ति की प्रणाली सहित प्राप्त किया गया मासिक पारिश्रमिक

क0	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक
1	प्रमुख सचिव	रू0 67,000–79,000
2	अनु सचिव	वेतनमान 15600–39100(ग्रेड पे 6600)
3	भाषा अधिकारी	वेतनमान 15600–39100(ग्रेड पे 5400)
4	अनुभाग अधिकारी	वेतनमान 9300–34800(ग्रेड पे 4200)
5	समीक्षा अधिकारी	वेतनमान 9300–34800(ग्रेड पे 4200)
6	पुनरीक्षक	वेतनमान 9300–34800(ग्रेड पे 4200)
7	अनुवादक	वेतनमान 9300–34800(ग्रेड पे 4200)
8	सहा0समीक्षा अधिकारी	वेतनमान 5200–20200(ग्रेड पे 2800)
9	कम्प्यूटर सहायक	वेतनमान 5200–20200(ग्रेड पे 1900)
10	अनुसेवक	वेतनमान 4440–7440(ग्रेड पे 1400)

(11) सभी योजनाओं, प्रस्तावित परिव्यय और किये गये आहरणों सम्बन्धी रिपोर्ट सामग्री को दर्शाते हुए इसके प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

(वर्ष 2010–2011)

	(धनराशि हजार रू0 में)	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान	600	27439
उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान	100	10592
उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान से सस्कृत पंडितों को पुरस्कृत करने हेतु अनुदान	–	1550
उत्तर प्रदेश भाषा निधि से वित्त पोषित शासन स्तर पर व्यय	–	4000
प्रदेश में उर्दू का विकास एवं प्रचार	100	35142
विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन हेतु अनुदान	500	–
राज्य कर्मचारियों को उर्दू की दक्षता परीक्षा पास करने पर पुरस्कार की योजना	–	125
स्व0 फखरूद्दीन अली अहमद स्मारक समिति को अनुदान	400	2693
लब्ध प्रतिष्ठित पंडितों की सहायता (शत प्रतिशत भारत सरकार द्वारा पोषित)	–	–
हिन्दुस्तानी एकेडमी उ0प्र0 को अनुदान	–	2484

प्रदेश के मैदानी जिला मुख्यालयों में हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण	–	567
सरकारी प्रकाशन	–	1983
उ0प्र0सिन्धी अकादमी को अनुदान	–	3428
उ0प्र0पंजाबी अकादमी को अनुदान	–	2024
उ0प्र0 हिन्दी–उर्दू साहित्य अवार्ड कमेटी को अनुदान	–	1000
राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान लखनऊ की पुरस्कार योजना के लिए अनुदान	–	758
स्व0मधुलिमये पुरस्कार योजना	–	100
टिप्पणी – अवशेषो का भुगतान–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	–	8305
कुल योग	1700	102190

(12) आवंटित राशि सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का ढंग और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्यौरा

शून्य

(13) अपने द्वारा मंजूर की गयी रियायतों, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण

शून्य

(14) अपने पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध अथवा धारित की गयी सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरा

शून्य

(15) सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे, जिनमें जनसाधारण के लिए उपलब्ध पुस्तकालय या वाचन कक्ष के ब्यौरे भी सम्मिलित हों

शून्य

(16) जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियॉ

जन सूचना अधिकारी का नाम/पदनाम	कार्यालय का पता	कार्यालय का दूरभाष संख्या	आवासीय दूरभाष संख्या
श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह अनु सचिव एवं जन सूचना अधिकारी, भाषा विभाग	कक्ष सं0–41 बहुखण्डी भवन, उ0प्र0 सचिवालय	2213893	236257